भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 349

05 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: स्थानीय देशी अन्न की मांग एवं आपूर्ति

349. श्री कुरूवा गोरांतला माधव:

श्री श्रीधर कोटागिरी:

श्री मद्दीला गुरूमूर्ति:

श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कई स्थानीय देशी अन्न, सब्जियों और फलों की पर्याप्त मांग और आपूर्ति सृजित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर स्थानीय कृषि उत्पादों का समर्थन करने के लिए कोई नीति बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): सरकार विभिन्न योजनाएं अर्थात; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) आदि को कार्यान्वित कर रही हैं जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) के प्रौद्योगिकी समर्थन के अलावा स्वदेशी फसलों सहित शस्य और बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं।

भारत सरकार राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पारंपरिक फसल मिलेटस (श्री अन्न) को बढ़ावा देने के लिए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेटस वर्ष (आईवाईएम) के रूप में मना रही है। मिलेटस (श्री अन्न) के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंड एफडब्ल्यू) 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के सभी जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत पोषक अनाज उप-मिशन को कार्यान्वित कर रहा है।

स्थानीय रूप से लोकप्रिय स्वदेशी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने और बढ़ाने हेतु तथा इन फसलों के विपणन हेतु बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, भारत सरकार ने दस महत्वपूर्ण स्वदेशी बागवानी फसलों नामत: आंवला, करोंदा, सीबकथॉर्न, गार्सिनिया, जामुन, हनुमान फल (सॉरसोप), बेल, इमली, फालसा और कटहल की पहचान की है। सभी राज्यों को इन स्वदेशी फसलों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) प्रजनन कार्यक्रम में उपयोग के लिए भू प्रजातियों, किसानों/लोक/आदिम/पारंपरिक फसलों की किस्मों का रख-रखाव करती है। संसद के अधिनियम द्वारा सृजित पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवीएफआरए) एक सांविधिक निकाय भी पुरस्कारों और मान्यता के माध्यम से नकद प्रोत्साहन प्रदान करके समुदायों या किसानों की आनुवंशिक संसाधन संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से मिलेटस सहित विभिन्न फसलों की स्वदेशी किस्मों के संरक्षण और संवर्धन में शामिल हैं।

******